मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत

शासनादेश संख्या 113/2025/1282/26–3–2025–1572678 दिनांक 23.05.25 द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत आयोजन एवं भोजन व्यवस्था हेतु नियम व शर्तें–

उ0प्र0 शासन , समाज कल्याण अनुभाग–03 के शासनादेश संख्या संख्या 113/2025/1282/26–3–2025–1572678 समाज कल्याण अनुभाग–3 दिनांक 23.05.225 के प्रस्तर–03 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत कराये जाने वाले आयोजन एवं भोजन व्यवस्था क्रय किये जाने हेतु जैम पोर्टल/ई–टेण्डर पर बिड/निविदा के माध्यम से चयन किया जाना है। जैम पोर्टल/ई–टेण्डर पर पंजीकृत फर्म एवं सम्बन्धित कार्यानुभव रखने वाली फर्म जो निर्धारित ऑपचारिकतायें पूर्ण करती हो उन फर्मो से जैम पोर्टल/ई–टेण्डर के माध्य से बिड/निविदा आमंत्रित की जाती है–

1– समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत शासनादेश के अनुसार सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजन हेतु भोजन, पण्डाल, फर्नीचर, पेयजल, विद्युत एवं प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं व सेवा हेतु प्रति जोड़ा रू0 15,000/– की दर निर्धारित है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में जैम पोर्टल/ई–टेण्डर के माध्यम से निविदा आमंत्रित की जाती है।

2– उक्त बिड चल वित्तीय वर्ष 2025–26 (31.03.26) तक के लिये मान्य होगी। परन्तु स्वीकृति चयनित फर्म को वर्ष 2026–27 में भी जब तक अगला टेण्डर नही होता है तब तक वर्तमान में चयनित होने वाली फर्म को जनपद स्तरीय समिति के अनुमोदन उपरान्त कार्य करना होगा।

3–बिड हेतु अनुमानित कुल रू0 1,20,30,000/– (एक करोड़ बीस लाख तीस हजार रूपये मात्र) है।

निविदा की समस्त कार्यवाही/भुगतान/सामग्री की आपूर्ति संलग्न शासनादेश संख्या 113/2025/1282/26–3–2025–1572678 समाज कल्याण अनुभाग–3 दिनांक 23.05.225 तथा निदेशालय समाज कल्याण उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या– 571/स0क0/विकास/मु0सा0वि0यो0/2024–25 दिनांक 13.11.2024 के द्वारा जारी मानक परिचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुसार किया जायेगा।

सामग्री का विवरण मात्रा व मानक निम्नवत है–

क्र0सं0	आवश्यक व्यवस्थाऐं हेतु
1	बधु को उनके विवाह के पश्चात एलबम सहित 05 फोटोग्राफ उपलब्ध कराना (विवाह हेतु जयमाल फेरे, सिन्दूरदान, कन्यादान, परिवार के साथ व सेल्फी प्वाइंट के साथ, निकाह हेतु परिवार के साथ वर–बधु की संयुक्त फोटो हस्ताक्षर करते समय, विदाई के समय सेल्फी प्वाइंट के साथ) इस कार्य हेतु 25 जोडों पर एक फोटोग्राफर की व्यवस्था की जायेगी।
2	विवाह हेतु 02 नग गुलाव के फूल की जयमाला, निकाह हेतु सेहरा–बेला/चमेली की फूलो की
3	पगडी/साफा (वर हेतु)
4	विवाह सम्पन्न कराने हेतु पुजारी/मौलवी के लिए दक्षिणा/पारिश्रमिका
5	100 या अधिक जोडों विवाह समारोह हेतु जर्मन हैगर की व्यवस्था, 100 जोडें से कम संख्या होने पर विवाह समारोह शादी मण्डप/मैरिज हॉल में कराया जायेगा।
6	सजावट (मंच व पण्डाल की भव्य व आकर्षक सजावट)
7	कार्यक्रम स्थल पर बडी स्कीन वाली दो से चार एल0ई0डी0
8	कार्यक्रम स्थल के प्रवेश द्वार पर फूलो की सजावटयुक्त भव्य व आकर्षक प्रवेश द्वार, जिस पर कार्यक्रम से सम्बन्धित बैनर भी लगाया जायेगा।
9	ध्वनि विस्तारक /साउण्ड बाक्स/माइक की व्यवस्था
10	मंच हेतु बैनर जिस पर योजना का नाम, प्रदेश के मा0 मुख्यमंत्री, मा0 विभागीय मंत्री/जनपद के प्रभारी मंत्री की फोटोग्राफ व गणमान्य अतिथियों के नाम अंकित हो।
11	वर–वधु व उनके पक्ष के 10–10 व्यक्तियों के नाश्ते हेतु व्यवस्था (केला–02, समोसा–02, वर्फी–01 पीस, चिप्स–50 ग्राम, पानी की बोतल–500 मि0ली0, कोल्ड ड्रिक की बोतल–250 मि0ली0, (शरबत/शिंकजी/चाय/काफी– मौसम के अनुसार) कार्यक्रम में युगल की उपस्थिति के समय ही उनको 20 पैकेट नाश्ते के उपलब्ध करा दिये जायेगे व पेय पदार्थ स्टाल (शरबत/शिंकजी/चाय/काफी– मौसम के अनुसार) लगाकर उपलब्ध कराये जायें।
12	वर–वधू व उनके पक्ष के 10–10 व्यक्तियों के भोजन की व्यवस्था (दाल, चावल, पूरी– कचौरी, सूखी सब्जी, मिक्स वेज, पनीर की सब्जी, सलाद, रसगुल्ला/खीर/हलवा, चाऊमीन आदि)

13	वर–वधू पक्ष के लिए अलग–अलग 05 कि0ग्रा0 बूदी का लडडू जिसे बास की बुनी हुयी हेण्डलयुक्त टोकरी में पीले रंग के पारदर्शी रैपर से ढक कर उपलब्ध कराया जायेगा।
14	वर–वधु पक्ष के लिए अलग–अलग ड्राई फ्रूटस की कवर्ड टोकरी (जिसमें से प्रत्येक में 500 ग्राम बादाम, 250 ग्राम अखरोट, 250 ग्राम मखाना, 500 ग्राम किशमिश व एक सूखा नारियल रहेगा)
15	सम्पूर्ण कार्यक्रम की प्रारम्भ से लेकर समाप्ति तक की वीडियोग्राफी की व्यवस्था।
16	कार्यक्रम स्थल पर सड़क के किनारे एक बडी होर्डिंग की स्थापना (जिसमें योजना की पात्रता व आवेदन करने की व्यवस्था आदि का उल्लेख हो)
17	विवाह प्रमाण पत्र का हार्डपेपर पर रंगीन मुद्रण व लेमिनेशन ।
18	अन्य प्रकीण व्यवस्था हेतु यथा अतिविशिष्ट अतिथियों हेतु जलपान/भोजन व्यवस्था सांस्कृति कार्यक्रम आदि जो अनिवार्य रूप से किया जाना है
19	विवाह मण्डप/रिसार्ट/शादी लॉन (युगलों के बैठने हेतु सोफा, मेज, वेटर, गार्डस, मंच की सजावट सहित) प्रति युगल व उनके पक्ष के 10–10 व्यक्तियों के बैठन एवं विवाहित जोड़ों के विवाह/निकाह के साथ कार्यक्रम में सम्मिलित आगुन्तकों हेतु एवं भोजन व्यवस्था हेतु खुला व बन्द एरिया को सम्मिलिति करते हुए पर्याप्त स्थान की व्यवस्था/साफ–सफाई, सेनेटाईजेशन सहित।
20	कार्यक्रम में सम्मिलित युगल व उनके परिवारजन एवं समस्त आगन्तुकों के बैठन हेतु फर्नीचर (सोफा, कुर्सी, गद्दे, चाँदनी आदि) एवं प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था, साउण्ड सिस्टम, जनरेटर डीजल सहित
21	विवाह समारोह के दिन यदि कोई अन्य सामग्री व सेवा की आवश्यकता होगी तो सम्बन्धित फर्म द्वारा वह भी उपलब्ध कराया जायेगा। जिसके लिए उसे कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।
	कुल धनराशि रूपये 15000/– प्रति युगल

4– निविदा में दर्शायी गई दरें सभी कर सहित जैसे– जी.एस.टी. एवं अन्य कर सहित होना चाहिये।

5– आयोजन की सुगमता को दृष्टिगत रखते हुये फर्म की ऑफिस उ0प्र0 में होना अनिवार्य है।

6– बैलेन्स सीट (विगत 03 वित्तीय वर्ष 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25) संलग्न करें।

7– समिति द्वारा निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा समिति बिना कारण बताये किसी भी समय बिड अथवा सम्पूर्ण निविदा को निरस्त कर सकती है।

8– जमानत राशि डी.डी./एफ.डी.आर. के रूप में चयनित फर्म द्वारा रू0 6..01 लाख की धनराशि एफ0डी0आर0 जिला समाज कल्याण अधिकारी अलीगढ़ के पक्ष में कार्यादेश निर्गत होने के उपरान्त 01 सप्ताह के भीतर प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। उक्त बैंक गारण्टी की धनराशि निविदा समाप्ति तक बंधक के तौर पर विभाग द्वारा लिया जायेगा। जो उक्त कार्य समाप्त होने के उपरान्त विभाग द्वारा चयनित फर्म को वापस कर दिया जायेगा।

9– जिन फर्मो द्वारा टैक्निकल बिड की समस्त ऑपचारिकतायें पूर्ण की जायेगी उन्ही फर्म के फाईनेशियल बिड पर बिचार किया जायेगा। ई.एम.डी. रू0 3.61 लाख, प्रेषक फर्म का नाम, पता के साथ, कार्यालय ज़िला समाज कल्याण अधिकारी अलीगढ़ में निविदा तिथि समाप्त होने के दिन अपरान्ह 05 बजे तक मूल रूप से कार्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा एवं अपलोड भी किया जायेगा।

10– सभी फर्मो का आधार कार्ड, टैन एवं पैन के साथ जी.एस.टी. में पंजीयन होना अनिवार्य है, प्रमाण पत्र संलग्न करें।

11– सी.ए. द्वारा निर्गत फर्म का (विगत 03 वित्तीय वर्ष 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25) का न्यूनतम औसत वार्षिक कुल टर्न ओवर रू0 1 करोड़ से कम न हो, प्रमाण पत्र संलग्न करें।

12– किसी भी सरकारी विभाग में ब्लैक लिस्ट होने एवं किसी भी माननीय न्यायालय द्वारा सजायाफ्ता न होने का रू0 100/– स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।

13– आई0टी0आर0 (विगत 03 वित्तीय वर्ष 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25) प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

14– जी.एस.टी. (विगत 03 वित्तीय वर्ष 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25) रसीद अपलोड करना अनिवार्य है।

15– उपरोक्त सभी दस्तावेजों को बिड में अपलोड करना एवं ई.एम.डी. मूल रूप में बिड समाप्ति के दिन अपरान्ह 05 बजे तक करना अनिवार्य है। अन्तिम तिथि के पश्चात कोई भी अभिलेख स्वीकार नहीं किया जायेगा, एवं फर्म को टैक्निकल बिड में अयोग्य ठहरा दिया जायेगा।

16– ऑडर देने के 03 दिवस के अन्दर अथवा कार्यक्रम तिथि से न्यूनतम 01 दिवस पहले जो भी हो सामान कार्यक्रम स्थल पर पहुंचाना अनिवार्य है। सामान को कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाने में कोई भी अतिरिक्त किराया देय नहीं होगा।

17– किसी सामान में खराबी पाये जाने पर तुरन्त रिप्लेस करना होगा।

18– निविदादाता द्वारा बिड में अंकित रू0 15,000/– प्रति जोड़ा के सापेक्ष अपनी फर्म की दरों का अंकन किया जायेगा।

19– जिलाधिकारी द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण पत्र न्यूनतम रू0 30 लाख तक संलग्न करना अनिवार्य है।

20– जनपदीय क्रय समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजन हेतु भोजन, पण्डाल, फर्नीचर, पेयजल, विद्युत एवं प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं व सेवा हेतु प्रति जोड़ा रू0 15,000/– के सम्बन्ध में आपूर्तिकर्ता/सेवा प्रदाता का जैम पोर्टल/ई–टेण्डर के माध्यम से चयन करते समय नियत दर से 05 प्रतिशत से कम दर भरने वाले आपूर्तिकर्ता/सेवा प्रदाता को निविदा में एल–1 पाये जाने पर भी निविदा से बाहर कर दिया जायेगा, जिससे कि शासन द्वारा नियत गुणवत्ता प्रभावित न हो। अतः नियत दर रू0 15,000/–के 05 प्रतिशत (रू0 14,250/–) से कम दर अनुमन्य नहीं है। नियत धनराशि रू0 15,000/– से 05 प्रतिशत से कम भरने वाले फर्म की निविदा निरस्त समझी जायेगी। तत्क्रम में निविदादाता द्वारा शपथ पत्र भी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा की दशा में निविदा अयोग्य समझी जायेगी।

21– विगत 03 वर्षो (2022–23, 2023–24 एवं 2024–25) में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम अथवा किसी प्रकार के सम्बन्धित कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।

22– एस्केलेशन मैट्रिक एवं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत बिड वैल्यू के न्यूनतम 40 प्रतिशत के 03 या 50 प्रतिशत के 02 या 80 प्रतिशत का 01 अनुभव प्रमाण पत्र व जैम/ई टेण्डर का कार्यादेश का होना अनिवार्य है।

23– विगत 03 वित्तीय वर्ष 2022–23, 2023–24, एवं 2024–25 के 26 AS फार्म की छायाप्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा।

24– आई.एस.ओ. 9001:2015, 45001:2018 प्रमाण पत्र तथा FSSAI लाइसेन्स अपलोड कराना अनिवार्य होगा।

25– जैसे–जैसे जितनी–जितनी आवश्यकता होगी, उतने का क्रयादेश देकर आपूर्ति ली जायेगी।

26– फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल का भुगतान नियमानुसार टी.डी.एस./जी.एस.टी. की वैधानिक कटौती के उपरान्त किया जायेगा।

27– किसी भी सामूहिक विवाह आयोजन के 03 दिन पूर्व आपूर्ति आदेश कार्यालय से जारी कर दिया जायेगा। विवाह के समय जोड़ों की संख्या घटने अथवा बढ़ने की दशा में आवश्यक व्यवस्था तत्काल करनी होगी।

28– निविदा स्वीकृति होने पर निविदादाता को रू0 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर स्वयं के खर्च पर जिला समाज कल्याण अधिकारी अलीगढ़ के नाम 01 अनुबन्ध पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिसमें निविदा की शर्तो के अधीन कार्य सम्पादित करने की स्वीकृति होगी।

29– किसी भी विवाद की स्थिति में जनपद स्तरीय समिति का निर्णय अन्तिम होगा एवं मा0 न्यायालय जनपद अलीगढ की परिधि होगी। बिना किसी कारण के निविदा को निरस्त करने का अधिकार समिति के अधीन होगा।

30– प्रति जोड़ा कार्यक्रम आयोजन हेतु भोजन, पण्डाल, फर्नीचर, पेयजल, विद्युत एवं प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं व सेवा हेतु प्रति जोड़ा भुगतान की अधिकतम सीमा रू0 15,000/– है।

31– निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जनपद अलीगढ को आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष इस वित्तीय वर्ष 2025–26 में 802 कन्याओं का विवाह कराया जाना है। विवाह कार्यक्रम के दौरान उक्त लक्ष्य/जोड़ों की संख्या कम अथवा ज्यादा हो सकती है। यदि जोड़ों की संख्या कम या ज्यादा होती है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस निविदा के माध्यम से प्राप्त दरों की प्रति जोड़ो की दर से गुणन करते हुए उसी के अनुरूप उपलब्ध धनराशि भी कम या अधिक कर कार्यक्रम में गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी।

32– किसी भी सामग्री की दर निविदा में दिये गये माप–तौल के अनुरूप होनी चाहिये।

33–मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह आयोजन हेतु व्यवस्था जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत जितनी बार क्रेता द्वारा जिन–जिन स्थानों पर मांगी की जायेगी, उतनी बार निविदा दाता/फर्म को आपूर्ति देना अनिवार्य होगा। अन्यथा की दशा में स्वतः कार्यादेश निरस्त हो जायेगा, और समिति द्वारा performance security जब्त कर ली जायेगी।

38– सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन जनपद में गठित अनुश्रवण समिति/मुख्य विकास अधिकारी/जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित स्थलों पर जो सामान्यतः अलीगढ़ जनपद के मुख्यालय/विकास खण्ड मुख्यालय/नगर निकाय मुख्यालय/तहसील मुख्यालय पर आयोजित किये जायेगे। इस हेतु आयोजन स्थल पर उपलब्ध करानी होगी, जिस हेतु प्रथक से कोई कर/किराया/टोल टैक्स आदि देय नहीं होगा।

39– सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजन हेतु भोजन, पण्डाल, फर्नीचर, पेयजल, विद्युत एवं प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था गुणवत्ता परक न पाये जाने पर performance security जब्त करने के साथ आर्थिक दण्ड/विधिक कार्यवाही का विकल्प क्रय समिति/जिलाधिकारी महोदय की अनुमति से किया जायेगा।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अलीगढ़

29.09.2025
D BCWO (Alg)
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी
अलीगढ़

29/09/25

29.9.25
DSO

29/09/25
D.M.W.O.

29.9.2025
ADP

29/09/25
ब्रजेश कुमार
सहायक आयुक्त उद्योग
उद्योग विभाग

DPO ICDS

30/9/25
CDO